रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1979/कार्तिक 12, 1901
No. 459] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1979/KARTIKA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1979

का. आ. 636(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

यतः मुझे, नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति को अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता ;

अतः अब, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त मुझे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस आदेश द्वारा—

(क) अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों का प्रवर्तन, उक्त अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में इस आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए निलम्बित करता हूं, अर्थात् :—

धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खण्ड (क) ;

धारा 7 में, उपधारा (1), (3) और (4), उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) और उस उपधारा का प्रभाव परन्तुक ; और

उपधारा (5) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

धारा 8 से 12 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), और धारा 15 से 17 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), और धारा 22 ;

धारा 27 की उपधारा (1) का उतना भाग जिनके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और उसी धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ग) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

धारा 30 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है ;

धारा 33, धारा 34 की उपधारा (2) और 36 ;

धारा 44 और 45 ;

धारा 46 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में, निम्नलिखित उपबंध, अर्थात् "क्या अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा लिया गया" ; और

धारा 50 का उतना भाग जो मंत्रिमंडल से संबंधित है ; और

(ख) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाता हूं जो मुझे पूर्वोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा भंग की जाती है ;

(2) जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उक्त संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 6, 23, 27, 28, 30 और 49 में प्रशासक के प्रति किसी निदेश का अर्थ राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और धारा 23, 27 से 31 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित है) 48 और 49 में किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के प्रति किन्हीं शब्दों में निदेश का जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों का और शक्तियों से है, अर्थ, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा ।

नई दिल्ली,

दिनांक 3 नवम्बर, 1979

ह./-

नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति

[सं. यू. 11012/7/79-यू.टी.एल.]

प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1979

S.O. 636(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Administrator of the Union Territory of Arunachal Pradesh and after considering the report, I am satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Union Territory of Arunachal Pradesh cannot be carried on in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, for a period of three months from the date of this order, in relation to the said Union Territory of Arunachal Pradesh, the operation of the following provisions of the Act, namely : –

sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2), of section 6 ;

in section 7, sub-section (1), (3) and (4) clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker ;

sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive) ;

section 22 ;

so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the same section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker ;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President ;

section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36 ;

section 44 and 45 ;

sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken on the advice of his Ministers or otherwise" in sub-section (2), of section 46 ; and

so much of section 50 as relates to the Council of Ministers ; and

(b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union Territory of Arunachal Pradesh in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely :—

(i) the Legislative Assembly of the said Union Territory is hereby dissolved ;

(ii) in relation to the said Union Territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 6, 23, 27, 28, 30 and 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in sections 23, 27 to 31 (both inclusive), 48 and 49 to the Legislative Assembly of a Union Territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed as a reference to Parliament.

New Delhi,
the 3rd November, 1979.

Sd./-

NEELAM SANJIVA REDDY, President of India

[No. U-11012/7/79-UTL

P. P. SHRIVASTAV, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979